प्रेषक,

संख्या : 1646/8-3-18-34 विविध/08

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक :05 अक्टूबर, 2018

विषयः- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त उपर्युक्त विषयक सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-36/2018/852/78-1-2018-45 आई.टी./2016, दिनांक 15.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.11.2016 को जारी भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 (इण्डियन टेलीग्राफ राइट-आफ-वे रूल्स, 2016) को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किए जाने तथा मोबाईल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाईल टॉवर की स्थापना और रख-रखाव के लिए उनकी अनुमतियों/अनापत्तियों तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति एवं उनके समयबद्ध रूप से संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रकिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कराया जाएगा जो 'सिंगल विंडो क्लीयरेन्स' के रूप में होगा तथा इसके माध्यम से आवेदन की प्रस्तुति एवं उनका निस्तारण सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थानों/समितियों द्वारा समयबद्ध रूप से किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों/विकास प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों, इत्यादि के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा तथा उसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी वाली सूचनाओं/अभिलेखों/अनापत्तियों को भी स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा। उक्त ऑनलाइन आवेदन एवं उनके समयबद्ध निस्तारण की यह एकल प्रकिया राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों इत्यादि पर उनके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत एक समान लागू होगी।

2- उक्त शासनादेश में भारत सरकार की अधिसूचना में अधिनियम से सम्बन्धित परिभाषाएं, स्थानीय प्राधिकारी आदि द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना, विवादों के समाधान, किए जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी नुकसान के पुनर्स्थापन तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा तार अवसंरचना के हटाये जाने या परिवर्तित किए जाने की प्रकिया हेतु व्यवस्था दी गयी है तथा आवेदनों हेतु एक समान शुल्क एवं आवेदनों के निस्तारण हेतु समयबद्धता का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के प्रस्तर 6 (2) तथा अध्याय-3 के प्रस्तर 10 (3) में आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित "आवेदन की तरीख से 60 (साठ) दिवसों

से अनधिक की अवधि" को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में "आवेदन की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिवसों से अनधिक की अवधि" पढ़ा जाये, का उल्लेख किया गया है। साथ ही उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा सुनिश्चित किए जाने के निर्देश हैं।

3— भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के क्रम मे नगर विकास अनुभाग–9, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदेश की नगर निकायों की सीमान्तर्गत भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना और रख–रखाव (आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु) के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्रासंगिक शर्तों/नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश सं.–72/नौ–9–2018–161ज/12, दिनांक 08 फरवरी, 2018 निर्गत किया गया है।

4— उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) के अध्याय–12 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 के अन्तर्गत उक्त संशोधन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृपया इस पर विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें :–

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
अध्याय–12 शीर्षक	सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं	सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाइल टावर की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु अपेक्षाएं
12.2(VI)	निर्माण से पूर्व मानचित्र, शपथ–पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र रूपया एक लाख की अनुज्ञा फीस के साथ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे तथा प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त अनुज्ञा फीस का 25 प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क जमा किया जाएगा। अनुज्ञा फीस के रूप में प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड' में जमा की जायेगी।	निर्माण से पूर्व मानचित्र, शपथ–पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र रूपया दस हजार के प्रशासनिक शुल्क के साथ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे जमा किए जाएंगे। शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड' में जमा की जायेगी।
12.2(VII)	—	निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्र 30 दिनों की अवधि मे अंतिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गयी, तो मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, बशर्ते मानचित्र पर अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित हो, कि मानचित्र महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है।
12.4	4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी.बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के	4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी.बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की

	लिए पोल लगाने की अनुमति शासनादेश सं.-1485/ नौ-9-2012-161ज/12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर-8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त शासनादेश दि. 15.10.2012 में स्थापित व्यवस्था, प्रतिबन्धों /शर्तों के अनुपालन की स्थिति मे प्रदान की जायेगी।	अनुमति शासनादेश सं.-1485/नौ-9-2012-161ज/12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर-8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त शासनादेश दि. 15.10.2012 तथा शासनादेश सं.-286/नौ-9-2014- 161ज/12, दिनांक 11 मार्च, 2014 में स्थापित व्यवस्था, प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन की स्थिति में प्रदान की जायेगी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की 'भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016' सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अंगीकरण विषयक शासनादेश संख्या-72/नौ-9-2018-161ज/12, दिनांक 08 फरवरी, 2018 द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

3/x/2018

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त उपविधि पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र., लखनऊ।
4. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

05/10/2018

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।